



दिनांक 06.10.2026

प्रेस विज्ञापित 510 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांक: 06.10.2026 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री त्रिनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के दिनांक: 01.10.2026 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

स्वर्गीय डॉ. त्रिनाथ मिश्रा जी का जन्म 30 दिसम्बर, 1942 को रांची (झारखण्ड) में हुआ था। वे वर्ष 1965 बैच के "उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी" थे। प्रशिक्षण के उपरान्त वे सहायक पुलिस अधीक्षक लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक मेरठ, पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर, बुलन्दशहर, आजमगढ़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कुम्भ मेला) इलाहाबाद, मेरठ एवं वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे तथा प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) तथा मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के रूप में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया गया। दिनांक: 31.12.2002 को वे अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पद से सेवानिवृत्त हुये। स्वर्गीय त्रिनाथ मिश्रा जी का दिनांक: 01.10.2026 को दुःखद निधन हो गया।

स्वर्गीय त्रिनाथ मिश्रा जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। उनका लगभग 37 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें दिनांक: 10.04.1975 को "राष्ट्रपति का वीरता पदक", गणतंत्र दिवस 1984 के अवसर पर "दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक" तथा स्वतन्त्रता दिवस 1990 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का "पुलिस पदक" से सम्मानित किया गया। वह अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।



दिनांक 06.10.2026

प्रेस विज्ञापित 511 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 06.10.2026 को थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम राजघाट के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—पंकज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अजय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—पंकज निवासी मोहल्ला रावतयाना थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।
- 2—अजय निवासी मोहल्ला रघुनाथपुरा थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

बरामदगी

- 1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 21 किलो 476 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 05.10.2026 को थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—मुन्तियाज 2—फईम 3—मो0 शोएब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही स लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 21 किलो 476 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मुन्तियाज निवासी आकाशवाणी रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
- 2—फईम निवासी नूरनगर ठेके के पीछे वाली गली थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
- 3—मो0 शोएब निवासी दीदामई फत्ते टेन्ट हाउस के पास रामगढ़ रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

- 1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 21 किलो 476 ग्राम अवैध चरस।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- 304 ग्राम अवैध स्मैक

- 05 मोबाइल फोन

- 31 हजार 210 रुपये नगद भारतीय मुद्रा व 25 रुपये नेपाली मुद्रा

- 01 कैमरा

- 01 चार पहिया वाहन

- 02 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 05.10.2026 को थाना रूपईडीहा व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—रियाज अली उर्फ

रियाज बाबा 2-अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 304 ग्राम अवैध स्मैक, 05 मोबाइल फोन, 31 हजार 210 रुपये नगद भारतीय मुद्रा व 25 रुपये नेपाली मुद्रा, 01 कैमरा, 01 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रियाज अली उर्फ रियाज बाबा निवासी चकिया रोड वार्ड नं0 09 नगर पंचायत रूपईडीहा, बहराइच।

2-अभियुक्ता

बरामदगी

1-304 ग्राम अवैध स्मैक।

2-05 मोबाइल फोन।

3-31 हजार 210 रुपये नगद भारतीय मुद्रा व 25 रुपये नेपाली मुद्रा।

4-01 कैमरा।

5-01 चार पहिया वाहन।

6-02 मोटर साइकिल आदि।

➤ जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1-रामलखन उर्फ लखन उर्फ तेजप्रताप 2-शिवलखन उर्फ चंद्रप्रकाश को आजीवन कारावास व 01 लाख 04 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 83 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/504/506/313

भादवि व पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशिफ उर्फ पंचोली को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 83 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1—सत्यनारायण उर्फ मुन्ना 2—अभियुक्ता को 10—10 वर्ष के कारावास व 10—10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 06.10.2026

प्रेस विज्ञापित 512 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रेप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई** द्वारा जय कुमार निवासी ग्राम जटौल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर से मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की अनुदान राशि को प्राप्त करने की एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यालय उप श्रमायुक्त बी0ओ0सी0 डब्लू बोर्ड प्रभाग कक्ष के अन्दर जनपद सहारनपुर से **सहायक लेखाकार (संविदाकर्मी) अभिषेक मित्तल** पुत्र स्व0 महेश मित्तल मूलनिवासी मोहल्ला विनय विहार बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को 05 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
